

उ०प्र० एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास
प्राधिकरण
(यूपीडा)

बोर्ड की 74वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 28.04.2022

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी-13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

■ 0522. 2307592, 2307542 4004523 फ़ैक्स: 0522.4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.04.2022 को सम्पन्न हुई 74वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :-

- | | |
|---|---------------|
| 1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा | —अध्यक्ष |
| 2. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा | —सदस्य / सचिव |
| 3. श्री राजेश कुमार पाण्डेय, अपर निदेशक कोषागार, वित्त विभाग उ०प्र० शासन, (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग) | —सदस्य |
| 4. श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ०प्र० शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) | —सदस्य |
| 5. श्री राजेश कुमार पाण्डेय, अनु सचिव, लोक निर्माण, उ०प्र० शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण) | —सदस्य |
| 6. श्री अनिल तिवारी, सहायक निदेशक, आवास बन्धु (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन) | —सदस्य |
| 7. श्री राज कमल, सहायक अभियन्ता उ०प्र० औद्योगिक विकास निगम, लि० कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) | —सदस्य |

विशेष आमंत्रि:-

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री आर०आर० सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
3. श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
4. श्री अरूण कुमार पाठक, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
5. श्री अनुराग अस्थाना, महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
6. श्री राजेश कुमार पाण्डेय, नोडल अधिकारी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यूपीडा।
7. श्री के०के० सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
8. श्री डी०पी० सिंह, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
9. श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
10. श्री के०के० पाण्डेय, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
11. श्री दुर्गेश उपाध्याय, मीडिया सलाहकार, यूपीडा।
12. श्री दयाराम सत्यार्थी, अधीक्षण अभियन्ता, यूपीडा।
13. श्री अभिजीत घोष, परामर्शी।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 74वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं सदस्यों की अनुमति से एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:-

एजेण्डा बिन्दु-01:-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 22.03.2022 को सम्पन्न हुई 73वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया:-

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल की सम्पन्न हुई 73वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु-02:-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 22.03.2022 को सम्पन्न 73वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया:-

कार्यवाही/निर्णय:-

अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के कृत कार्यों पर संतुष्टि व्यक्त की है।

एजेण्डा बिन्दु-03

“पूर्वांचल एक्सप्रेसवे” पर वर्ष 2022-23 हेतु टोल दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि ‘पूर्वांचल एक्सप्रेसवे’ पर दिनांक 16.11.2021 से यातायात प्रारम्भ हो गया है तथा इसका उपयोग करने वाले वाहनों से टोल शुल्क की वसूली प्रस्तावित है। ‘पूर्वांचल एक्सप्रेसवे’ परियोजना पर स्थित टोल प्लाजाओं के रख-रखाव एवं टोल फीस की वसूली हेतु ई-टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से चयनित टोल एजेंसी पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त करते हुये औद्योगिक विकास अनुभाग-3 के शासनोदश सं0 576/7773-22-93(एम)/21 दिनांक 27.04.2022 द्वारा ‘पूर्वांचल एक्सप्रेसवे’ पर स्थापित टोल प्लाजाओं के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 6 एम्बुलेन्स व 12 पेट्रोलिंग वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) उपलब्ध कराये जाने हेतु उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता मेसर्स प्रकाश एसफाल्टिंग्स एण्ड टोल हाइवेज इण्डिया लि0 को रू0 2,22,00,00,000.00 (रू0 दो सौ बाईस करोड़) मात्र (जीएसटी सहित), प्रथम वर्ष में यूपीडा को भुगतान किये जाने तथा प्रथम वर्ष के पश्चात अनुबन्ध की शेष अवधि तक (अनुबन्ध की कुल अवधि-दो वर्ष एवं प्राधिकरण द्वारा अधिकतम 6 माह के विस्तार सहित) 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि सहित, चयनित किये जाने, यूपीडा द्वारा उन्हें ‘लेटर ऑफ अवार्ड’ जारी करने व उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित करने हेतु यूपीडा को अधिकृत किया गया है। तदनुसार चयनित निविदाकर्ता मेसर्स प्रकाश एसफाल्टिंग्स एण्ड टोल हाइवेज इण्डिया लि0 को ‘लेटर ऑफ अवार्ड’ दिनांक 27.04.2022 को जारी कर दिया गया है।



2- निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि टोल एजेंसी के चयन हेतु दिनांक 11.06.2021 को ई-टेंडर के माध्यम से 'आर0एफ0क्यू0-कम-आर0एफ0पी0' जारी कर निविदायें आमंत्रित की गयी थी, जिसके कम के उपलिखित एजेंसी का चयन किया गया है। उक्त 'आर0एफ0क्यू0-कम-आर0एफ0पी0' में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की भांति विभिन्न वाहनों के लिये वर्ष 2021-22 हेतु आगणित टोल दरों पर 25% की छूट अनुमन्य की गई थी।

3- निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017" के प्राविधानों के अनुसार "आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे" पर टोल की वसूली की जा रही है। उक्त नियमावली के प्राविधानों के अर्न्तगत, प्रत्येक वर्ष, 01 अप्रैल से वार्षिक वृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु शासन द्वारा यूपीडा के निदेशक मण्डल को अधिकृत किया गया है। ततकम में पूर्वान्वल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिये वर्ष 2022-23 हेतु परियोजना परामर्शी द्वारा संशोधित टोल दरों का आंगणन नियमावली में दिये गये प्राविधान के आधार पर निम्नवत किया गया है :-

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0)	
अवधि	दर
दिसम्बर-2016	343.32
दिसम्बर-2017	355.66
दिसम्बर-2018	369.19
दिसम्बर-2019	377.49
दिसम्बर-2020	382.66
दिसम्बर-2021	437.68

क्रम सं०	वाहन का प्रकार	वर्ष 2017-18 के लिये दिसम्बर 2016 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 343.32) पर आधारित फीस की प्रति कि०मी० आधार पर टोल दर (रूपये में)	वर्ष 2021-22 के लिये दिसम्बर 2020 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 382.66) पर आधारित फीस की प्रति कि०मी० आधार पर टोल दर (रूपये में)	वर्ष 2022-23 के लिये दिसम्बर 2021 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 437.68) पर आधारित फीस की प्रति कि०मी० आधार पर टोल दर (रूपये में)
1	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	2.20	2.30	2.45
2	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	3.50	3.65	3.90
3	बस या ट्रक	7.05	7.40	7.85
4	भारी निर्माण कार्य मशीन (एच०सी०एम०) भू-गतिमान उपस्कर (ई०एम०आई०) या बहुधुरीय यान (एम०ए०वी०) (3 से 6 धुरीय)	10.85	11.35	12.05
5	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	13.85	14.50	15.35

निर्मित स्थाई सेतु, इण्टरचेंज फ्लाईओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग का प्रयोग करने पर यदि उक्त निर्मित ढांचों की पूर्ण लागत दस करोड़ से अधिक है, तो वर्ष 2022-23 के लिये दिसम्बर, 2021 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 437.68) के आधार पर फीस की दर निम्नवत् होगी:-

(Handwritten signature)

फीस की आधार दर रू० में (प्रति वाहन प्रति फेरा)											
क्रम सं०	स्थायी सेतु या सुरंग की लागत (करोड़ रू० में)	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन		हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस		बस या ट्रक		भारी निर्माण कार्य मशीन (एच०सी०एम०) भू-गतिमान उपस्कर (ई०एम०आई०) या बहुधुरीय यान (एम०ए०वी०) (3 से 6 धुरीय)		विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	
		वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23
1	10-15	6.30	6.65	9.40	10.00	18.85	20.00	27.60	29.30	37.60	39.90
2	रू० 15 करोड़ के बाद प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर रू० 100 करोड़ तक	1.25	1.35	1.90	2.00	3.75	4.00	5.65	6.00	7.55	8.00
3	रू० 100 करोड़ के बाद प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर रू० 200 करोड़ तक	0.95	1.00	1.45	1.55	2.80	3.00	4.30	4.55	5.65	6.00
4	रू० 200 करोड़ ऊपर प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर	0.65	0.65	0.95	1.00	1.90	2.00	2.80	3.00	3.75	4.00

“उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017” के प्राविधानों के अनुसार उपरोक्तानुसार आंगणित टोल की संशोधित आधार दरों के अनुसार ‘पूर्वान्वल एक्सप्रेसवे’ पर लखनऊ से गाजीपुर तक विभिन्न वाहनों के लिये वर्ष 2022-23 हेतु आंगणित की गई संशोधित टोल दरें निम्नवत् होंगी:-

क्रम सं०	वाहन का प्रकार	वर्ष 2021-22 के लिये दिसम्बर 2020 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू०पी०आई० 382.66) पर आधारित फीस की प्रति कि०मी० आधार पर टोल दर (रूपये में)		वर्ष 2022-23 के लिये दिसम्बर 2021 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू०पी०आई० 437.68) पर आधारित फीस की प्रति कि०मी० आधार पर टोल दर (रूपये में)	
		25%की छूट के साथ (नियमावली के अनुसार रू० 5/- की राउण्डिंग सहित)	बिना छूट के	25%की छूट के साथ (नियमावली के अनुसार रू० 5/- की राउण्डिंग सहित)	बिना छूट के
1	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	630	840	675	900
2	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	1000	1375	1065	1420
3	बस या ट्रक	2010	2680	2145	2860
4	भारी निर्माण कार्य मशीन (एच०सी०एम०) भू-गतिमान उपस्कर (ई०एम०आई०) या बहुधुरीय यान (एम०ए०वी०) (3 से 6 धुरीय)	3095	4125	3285	4380
5	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	3965	5285	4185	5580


4- निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि औद्योगिक विकास अनुभाग-3 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-02/2018/235/77-3-2018-37एनएम-12 दिनांक 15.01.2018 द्वारा टोल दरों में प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से वार्षिक वृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु यूपीडा के निदेशक मण्डल को अधिकृत किया गया है।

(Handwritten signature)

5- उपरोक्तानुसार 'पूर्वाचल एक्सप्रेसवे' पर विभिन्न वाहनों हेतु विभिन्न टोल प्लाजास/टोल बूथ के बीच वर्ष 2022-23 हेतु पुनरिक्षित टोल आधार दरों के अनुसार लागू टोल दरों की धनराशि (25% की छूट सहित) के प्रस्तुत विवरण का निदेशक मण्डल द्वारा अवलोकनोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

6- निदेशक मण्डल को अग्रेत्तर अवगत कराया गया कि पूर्वाचल एक्सप्रेसवे परियोजना पर टोल एकत्र करने हेतु एजेन्सी के चयन के लिये माह जून 2021 में निविदा जारी की गई थी, जिसमें वर्ष 2021-22 हेतु टोल दरों को सूचित किया गया था तथा वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित टोल दरों के क्रम में निविदाकर्ताओं द्वारा बिड धनराशि की वित्तीय निविदा प्रस्तुत की जानी थी जिसके क्रम में उर्पलिखित चयनित एजेन्सी द्वारा यूपीडा को भुगतान की जाने वाली धनराशि रू0 222,00,00,000.00 (जीएसटी सहित) की उच्चतम निविदा का वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्तानुसार "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017" के प्राविधानों के अनुसार पूर्वाचल एक्सप्रेसवे के लिये वर्ष 2022-23 (01.04.2022 से लागू) हेतु संशोधित टोल दरें यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित की गई है। अतः चयनित एजेन्सी के साथ निष्पादित होने वाले अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुसार *(The revised remittance on annual increase of User fee rates due to change in WPI, will be determined using the weighted percentage increase in the rates of all categories of vehicles, using proportions of different categories of vehicles* and considering single journey rates.)* चयनित एजेन्सी द्वारा संशोधित धनराशि (revised remittance) का भुगतान यूपीडा को किया जाना होगा।

निदेशक मण्डल द्वारा उक्त बिन्दु पर विचार-विमर्शोपरान्त बैठक में उपस्थित परियोजना परामर्शी को निदेशित किया गया कि अनुबन्ध के सम्बन्धित प्राविधानों के अनुसार उपरोक्तानुसार वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित संशोधित टोल दरों के आधार पर चयनित एजेन्सी द्वारा यूपीडा को देय संशोधित धनराशि (revised remittance) का आंगणन कर प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु उपलब्ध करायी जाये तथा निर्धारित संशोधित धनराशि (revised remittance) को निदेशक मण्डल की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।



प्रकरण पर उपरोक्तानुसार विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया:-


1. 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे' पर वर्ष 2022-23 हेतु आंगणित संशोधित टोल दरों पर 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
2. 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे' पर वर्ष 2022-23 (01.04.2022 से लागू) के लिये आंगणित संशोधित आधार टोल दरों एवं एक्सप्रेसवे पर विभिन्न वाहनों हेतु विभिन्न टोल प्लाजाज/टोल बूथ के बीच लागू टोल दरों की धनराशि (25% की छूट सहित) पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
- 3- 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे' पर टोल कलेक्शन हेतु चयनित एजेन्सी को वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित संशोधित टोल दरों के आधार पर टोल कलेक्शन हेतु अधिकृत करते हुये उनसे अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुसार संशोधित धनराशि (revised remittance) का भुगतान लिये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गई।

कार्यवाही / निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त वर्णित तथ्यों का संज्ञान लेते हुये 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे' पर वर्ष 2022-23 हेतु टोल दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहमति विचारोपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।

अध्यक्ष, निदेशक मण्डल एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि 01 मई, 2022 को प्रातः 08:00 बजे से टोल संग्रह प्रारम्भ हो जाये। उक्त कार्य के लिए उन्होंने श्री दयाराम सत्यार्थी, अधीक्षण अभियन्ता को नोडल अधिकारी नामित किया है और निर्देशित किया है, कि वे दिन-प्रतिदिन की कार्य प्रगति अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के माध्यम से उन्हें अवगत करायेंगे।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर निर्मित सभी टोल प्लाज यथाशीघ्र सक्रिय करने के लिए उन्होंने अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य महाप्रबन्धक, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, नोडल अधिकारी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एवं मुख्य अभियन्ता को दायित्व आवंटित किये।



अंत में मुख्य कार्यपालक अधिकारी /अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित बोर्ड सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.04..2022 को सम्पन्न हुई 74वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 28.04.2022 को अनुमोदित किये गये हैं।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी